रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1999/चैत्र 9, 1921

No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1999/CHAITRA 9, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1999

सा. का. नि. 231(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 173"

संविधान (राजस्व वितरण)

संख्यांक 3 आदेश, 1999

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 1999 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियों, जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्ति के संबंध में राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों हेतु केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:—

राज्य	(रुपए लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	7747.50*
अरुणाचल प्रदेश	586.00
असम	4160.00
बिहार	4322.00
गोवा	89.00
गुजरात	11612.00
हरियाणा	2084.00
हिमाचल प्रदेश	2242.00
जम्मू-कश्मीर	1639.00
कर्नाटक	3481.00
केरल	4608.00
मध्य प्रदेश	4249.00
महाराष्ट्र	5673.00
मणिपुर	206.00
मेघालय	232.00
मिजोरम	105.00
नागालैंड	141.00
उड़ीसा	3057.75*
पंजाब	4504.00
राजस्थान	14892.00
सिक्किम	494.00@
तमिलनाडु	4937.00
त्रिपुरा	374.00
उत्तर प्रदेश	13119.50@
पश्चिम बंगाल	3201.75*

* इसके अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को अग्रिम रुप से दिए गए 2582.50

लाख रुपए, 1019.25 लाख रुपए और 1067.25 लाख रुपए का केन्द्रीय सरकार का अंश सम्मिलित नहीं है।

@ इसके अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए क्रमशः सिक्किम और उत्तर प्रदेश को विपत्ति राहत निधि हेतु 102.00 लाख रुपए 2712.50 लाख रुपए का केन्द्रीय सरकार के अंश का अग्रिम सम्मिलित है।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी।

परन्तु यह और कि यदि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो अतिशेष, राज्य के विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप पैरा (1) के अधीन संदेय राशियों की कोई राशि संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1998 के पैरा 3 के उपपैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(3)/99-वि.I]
रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1999

G.S.R. 231 (E).—The following order made by the President is published for general information :—

"C.O. 173"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 3 ORDER, 1999

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1999.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3.(1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief in connection with natural calamities in the States :—

	State	(Rupees in lakhs)
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	7447.50*
2.	Arunachal Pradesh	586.00
3.	Assam	4160.00
4.	Bihar	4322.00
5.	Goa	89.00
6.	Gujarat	11612.00
7.	Haryana	2084.00
8.	Himachal Pradesh	2242.00
9.	Jammu and Kashmir	1639.00
10.	Karnataka	3481.00
11.	Kerala	4608.00
12.	Madhya Pradesh	4249.00
13.	Maharashtra	5673.00
14.	Manipur	206.00
15.	Meghalaya	232.00
16.	Mizoram	105.00
17.	Nagaland	141.00
18.	Orissa	3057.75*
19.	Punjab	4504.00
20.	Rajasthan	14892.00
21.	Sikkim	494.00 @
22.	Tamil Nadu	4937.00
23.	Tripura	374.00
24.	Uttar Pradesh	13119.50 @
25.	West Bengal	3201.75*

*Excludes Centre's share of Rs. 2582.50 lakh, Rs. 1019.25 lakh and Rs. 1067.25 lakh released in advance to Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal respectively during 1997-98.

@Includes advance release of Centre's share of Rs. 102.00 lakh and Rs. 2712.50 lakh towards Calamity Relief Fund of Sikkim and Uttar Pradesh respectively for 1999-2000.

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998 on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States.

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1998.

K.R. NARAYANAN,
President

[F. No. 19 (3)/99-L.I]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999